न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 61/2020 दायरा दिनांक : 22.09.2020

उनवान

भैरूलाल आयु 43 वर्ष आत्मज देवीलाल, जाति भील, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– देवीलाल आत्मज नाथूलाल, जाति भील, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2– गीता बाई आत्मज देवीलाल, जाति भील, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3– शाखा प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, खानपुर

4– राजस्थान सरकार द्वारा उपपंजीयक, खानपुर

5– राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सुदामा राठौर एवं श्री पूरीलाल अभिभाषक अपीलांट

की ओर से

निर्णय दिनांक : 19.03.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 492/प्रार्थना–पत्र/2019 निर्णय दिनांक 16.07.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत अप्रार्थीगण के

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
कोटा (राज.)

विरूद्ध प्रस्तुत कर उसमें कथन किये थे कि नकल जमाबंदी ग्राम तारज के खाता संख्या नया 228 के खसरा नम्बर 1607 रकबा 6 बीघा, खसरा नम्बर 1942 रकबा 0.16 बीघा, खसरा नम्बर 1943 रकबा 4 बीघा कुल 3 किता कुल रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा आराजी स्थित है । इसी प्रकार खाता संख्या नया 227 के खसरा नम्बर 1940 रकबा 14 बीघा, खसरा नम्बर 1941 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 1944 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा कुल 3 किता की रकबा 21 बीघा 4 बिस्वा आराजी स्थित है जो पुश्तैनी उत्तराधिकार तथा अप्रार्थी नम्बर 1 को उसके पिता तथा उसके भाई देवलाल की पत्नी ग्यारसीबाई खातेदार के मरने तथा ग्यारसी बाई खातेदार के उत्तराधिकारी देवलाल जो कि प्रार्थी का भाई था के मरने के उपरज्ञनत उसके हक में आई है, मौके पर उक्त आराजी का विभाजन प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य संभाग में हो रहा है जिसे अप्रार्थी कम 1 अपने नाम आराजी होने का लाभ उठाते हुए बिना विधिक आवश्यकता के बेचान कर रहा है जिस कारण प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से अस्थायी व्यादेश अवैध अन्तरण, कब्जा व विध्नकारित न करने बाबत की प्रार्थना की थी जिसे अस्वीकार कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी के देवीलाल के पुत्र होने के बारे में किसी भी प्रकार से खण्डन नहीं है तथा विधिक स्थिति के बारे में अधीनस्थ न्यायालय ने पारित निर्णय में इस तथ्य से इंकार नहीं किया कि आराजी पुश्तैनी आराजी नहीं है । ऐसी स्थिति में पुश्तैनी आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 का पुत्र होने से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पुश्तैनी आराजी प्रथम दृष्टया दर्शित होने से प्रथम दृष्टया विधिक तथ्य प्रार्थी के पक्ष में होने तथा आराजी पर उसी के तहत प्रार्थी का संभाग में कब्जा होने बाबत प्रार्थना पत्र में कथन व उसके समर्थन में शपथ पत्र होने से सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है । यदि ऐसी स्थिति में उसको उसके विधिक हक तथा आधिपत्य के अधिकार से वंचित किया जाता है तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में विधिक त्रुटि है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.07.2020 अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने टी. आई. खारिज कर दी । देवी लाल

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

ने पुश्तैनी आराजी बाबत कोई खण्डन नहीं किया है । वादग्रस्त आराजी का बेचान देवी लाल कर देगा तो हमें हानि होगी । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में स्पष्ट किया है कि यह मान भी लिया जावे कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है तब भी रेस्पोडेंट अप्रार्थी संख्या 1 को अपने हिस्से तक की आराजी को बेचान का पूर्ण अधिकार है, ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में न होकर रेस्पोडेंट अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में है । जब प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में नहीं है तो अपरिमित क्षति भी प्रार्थी अपीलांट को संभावित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय के उक्त विवेचन से हम सहमत हैं । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है, जिसमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.07.2020 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा